जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 05.02.2024

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम में वांछित 15000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के दृष्टिगत वांछित / इनामियां अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2023 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त नाम पता लट्टू उर्फ मो0 आफताब पुत्र रइस निवासी चाइकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को परसाकला तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 21.04.2023 को डायल 112 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा 01 गाय को वध करने हेतु चाइकला गाँव के पश्चिम में ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना दुधारा पुलिस द्वारा दबिश दी गयी जिसके उपरान्त रस्सी में बंधी 01 अदद गाय को बरामद किया गया था। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

लट्टू उर्फ मो0 आफताब पुत्र रइस निवासी चाइकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 107/2023 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, का0 अमित पटेल, का0 मुकेश यादव, का0 प्रदीप शाह, का0 अनिल यादव।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.02.2024

मिशन शक्ति अभियान 4.0 के तहत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म कारित करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर किया गया गिरफ्तार

मा0 मुख्यमन्त्री उ0प्र0 सरकार द्वारा *महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे ***मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04)*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 38/2024 धारा 376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता निलेश पुत्र लालचन्द्र चौहान निवासी किठुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को कुसुरूखुर्द समय माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पत्ताः-

1. निलेश पुत्र लालचन्द्र चौहान निवासी किठुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री श्याम मोहन, हे0का0 सन्तोष गुप्ता, का0 जितेन्द्र कुमार सोनी

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 05.02.2024***

आज दिनांक 05.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बारीडीहा से इवेन्ट संख्या 07243 से कालर द्वारा दुर्घटना में 03 महिलाओं (1. सुषमा पत्नी राम मोहन, 2. सोनाली पुत्री राम मोहन 3. सोनम पुत्री राम मोहन आर/ओ बारीडिहा थाना घटघटा संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुई महिलाओं को 108 एम्बुलेंश की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर तत्काल पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुई महिलाओं को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई

***पीआरवी स्टाफ-* का0 शुभम कुमार सिंह, का0 पंकज यादव, हो0चा0 मेजर यादव ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 41 वाहनों से 32,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 41 वाहनों से 32,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 05.02.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थान पर लगवाये गये 06 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 05.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 06 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । ***थाना महुली*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरें, ***थाना बखिरा*** पुलिस द्वरा 01 स्थाना पर 03 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.02.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 2500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन कनविक्शन**"* व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन शिकंजा**"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 05.02.2024 को ***न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 704/2007 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के मामलें में दोषसिद्व अभियुक्त नाम पता अब्दुल्ला पुत्र मुबारक हुसैन निवासी अमरडोभा(रसूलाबाद) थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।